



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112023-250030
CG-DL-E-13112023-250030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4689]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11, 2023/कार्तिक 20, 1945

No. 4689]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11, 2023/KARTIKA 20, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2023

सं. 43/2023

विषय:— एचएस कोड 10063090 के तहत गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ. 4898(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए निम्नलिखित नीतिगत शर्त को निम्नानुसार शामिल करती है:

आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
10063090	गैर-बासमती सफेद चावल (आधा-पिसा) हुआ या पूर्ण रूप से पिसा हुआ चावल,	निषिद्ध	नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए दान के रूप में 20 एमटी गैर-बासमती सफेद चावल (आधा पिसा हुआ या पूर्ण रूप से पिसा हुआ

	चाहे पॉलिश या ग्लेज किया हुआ हो या नहीं: अन्य		चावल, चाहे पॉलिश हो या ग्लेज किया हुआ हो या नहीं: अन्य) के निर्यात के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को 'निषिद्ध' से एक बार निर्यात के लिए छूट दी गई है।
--	---	--	---

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए दान के रूप में एचएस कोड 10063090 के तहत 20 एमटी गैर-बासमती सफेद चावल (आधा पिसा हुआ या पूर्ण रूप से पिसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश हो या ग्लेज किया हुआ हो या नहीं: अन्य) के निर्यात के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को 'निषिद्ध' से एक बार निर्यात के लिए छूट दी गई है।

[फा. सं. 01/91/171/010/एम23ईसी/ई-33294]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2023

No. 43/2023

Subject: - Incorporation of Policy Condition for export of Non-basmati rice under HS Code 10063090.

S.O. 4898(E).—The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, hereby incorporates the following Policy Condition for export of Non-basmati rice against ITC (HS) code 1006 30 90 of Chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

ITC HS Codes	Description	Export Policy	Policy condition
1006 30 90	Non-basmati white rice (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Other)	Prohibited	One time exemption from 'Prohibition' is granted to Patanjali Ayurved Limited for export of 20 MT of Non-basmati white rice (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Other) as donation to Nepal for earthquake victims.

2. **Effect of this Notification:**

One time exemption from 'Prohibition' is granted to Patanjali Ayurved Limited for export of 20 MT of Non-basmati white rice (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Other) under HS Code 1006 30 90 as donation to Nepal for earthquake victims.

[F. No. 01/91/171/010/AM23EC/e-33294]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.